बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–3/अ0प्र0–1–349/2013 1066 /पटना, दिनांक :– 9.6.2020

श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा को उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा अवैध ढंग से आय से अधिक सम्पत्ति रू० 1,41,88,724/– अर्जित करने के मामले में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–26/13 दिनांक 08.07.2013 के आलोक में संकल्प ज्ञापांक–991 अनु0 दिनांक 24.03.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम–14(xi) के तहत अधिसूचना सं० 412 दिनांक 22.01.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी है।

2. श्री रामचन्द्र गुप्ता, सेवा से बर्खास्त कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या–412 दिनांक 22.01.2020 के द्वारा संसूचित सेवा से बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–24 के तहत पुनर्विचार याचिका दिनांक 31.01.2020 दायर की गयी है।

3. प्रश्नगत पुनर्विचार याचिका में श्री गुप्ता द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक–सह–अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उनके वैध आय को सही–सही अनुसंधान नहीं किया गया है। आर्थिक अपराध ईकाइ द्वारा उनके विरूद्ध मनमाने ढंग से फँसाने हेतु मामला दायर किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 35.60 लाख रूपये फ्लैट का दाम तीन गुणा से भी ज्यादा बढ़ाकर 110.00 लाख रूपये दिखाया गया है, जो अनुसंधान के क्रम में गलत पाया गया है। उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर विचार किये बिना ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है जबकि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि आर्थिक अपराध ईकाई के पत्रांक 2977 दिनांक–29.05.2018 द्वारा प्रश्नगत वाद में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी–1, पटना के न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किये जाने की सूचना दी गयी है, जिसके साथ संलग्न अनुसंधान प्रगति प्रतिवेदन में अंकित है कि अनुसंधान के क्रम में श्री गुप्ता के उक्त फ्लैट की कीमत 42.62 लाख बताई गयी है। कालान्तर के अनुसंधान में श्री गुप्ता का पुनर्मूल्यांकित वैध आय कुल रू0 99,65,153/– तथा व्यय की राशि कुल रू0 46,52,687/– पायी गयी है। श्री गुप्ता द्वारा अर्जित परिसम्पत्ति की राशि कुल रू0 1,50,05,737/– पायी गयी है। इस प्रकार श्री गुप्ता द्वारा वैध आय से अधिक अर्जित परिसम्पत्ति कुल रू0 96,93,271/– होता है, जिसका प्रतिशत डी0ए0 97.27% है। स्पष्ट है कि आर्थिक अपराध ईकाई द्वारा श्री गुप्ता के परिसम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन के बाद भी अर्जित संपत्ति वैध आय से काफी अधिक है।

संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन दिनांक–22.11.2017 से असहमत होते हुए श्री गुप्ता से असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 490 अनु0 दिनांक–08.03.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। इस प्रसंग में श्री गुप्ता द्वारा कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी, जो उन्हें विभागीय पत्रांक 1801 अनु0 दिनांक–18.07.2018 द्वारा उन्हें उपलब्ध करा

दिया गया था, परन्तु विभागीय पत्रांक 2638 दिनांक–31.10.2018 एवं विभागीय पत्रांक 715 दिनांक–20.03.2019 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री गुप्ता द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान ससमय समर्पित नहीं किया गया। अपितु प्रश्नगत मामले में सक्षम प्राधिकार का अंतिम निर्णय होने के बाद अपना बचाव बयान समर्पित किया गया, जिस पर तत्पश्चात् विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। इस प्रकार श्री गुप्ता को अपना बचाव बयान प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–27 के तहत प्रश्नगत पुनर्विचार याचिका के विचारण से स्पष्ट है कि श्री रामचन्द्र गुप्ता को संगत नियमावली के तहत विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर प्रश्नगत दण्डादेश निर्गत किया गया है। निष्कर्ष/निर्णय अभिलेख पर रक्षित साक्ष्य समर्थित है। श्री गुप्ता को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के लिए सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित की गयी है, जो उचित है। अतएव श्री गुप्ता का पुनर्विचार याचिका दिनांक 31.01.2020 स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा समर्पित पुनर्विचार याचिका दिनांक 31.01.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/6/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 1067 /पटना, दिनांक :– 9-6-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

9/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 1067 /पटना, दिनांक :– 9-6-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सासाराम/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2020.

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–349/2013 1067 /पटना, दिनांक :– 9.6.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/सासाराम/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम/गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2020

अपर सचिव